तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10014/2004/बूंदी** **प्रतिमा श्री केशवरायपाटन जी महाराज बनाम जमनालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषकगण प्रार्थीगण।

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 24–12–2024

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लेसरदा के माल में स्थित आराजी खसरा नंबर 293 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–1–2003 द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2003 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–10–2003 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2003 को यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2003 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि विवादित भूमि वादी/निगराकार मूर्ति मंदिर केशवराय जी के खाते की है। वादी/निगराकार दुर्गालाल एवं देवलाल वादी/निगराकार मूर्ति मंदिर केशवराय जी के पुश्तैनी पुजारी है। श्री दुर्गालाल जी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके वारिस 2/1 लगायत 2/7 है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भी दुर्गालाल जी एवं देवलाल जी वादी/निगराकार का नाम पुजारी के रूप में अंकित था। वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। उक्त अवैध एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात के आधार पर अप्रार्थीगण ने उपरोक्त आराजी पर जबरदस्ती दावा दायरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10014/2004/बूंदी** **प्रतिमा श्री केशवरायपाटन जी महाराज बनाम जमनालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के लगभग 7 वर्ष पूर्व गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है एवं उसकी हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों को वादी/निगराकार मूर्ति मंदिर के हितो की रक्षार्थ वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–1–2003 एवं राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–10–2003 निरस्त किये जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1987 पृष्ठ 289, आर.आर.डी. 1987 पृष्ठ 241, आर.आर.डी. 1999 पृष्ठ 65, आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 542, आर.आर.टी. 2002 (1) पृष्ठ 145 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका यह भी कथन है कि मूर्ति मंदिर श्री केशवरायजी महाराज के खातेदारी में करीब 2500 बीघा जमीन है, जो अनेको गांव में है एवं सेवा पुजा के लिए करीब 40–50 पुजारी है। अप्रार्थी भी मूर्ति मंदिर श्री केशवरायजी महाराज की सेवा पुजा हेतु पुजारी है एवं मूर्ति मंदिर की जितनी थी आराजी है वह पुजारियों को सेवा पुजा के बतौर कब्जा काश्त में है। उनका यह भी कथन है कि मूर्ति मंदिर श्री केशवरायजी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड मंदिर है। अतः मंदिर की खातेदारी की आराजी के लिए दावा प्रार्थी नहीं ला सकता, बल्कि मंदिर का मेनेजमेन्ट दावा ला सकता है। विवादित आराजी पर सैटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण बतौर पुजारी दर्ज रिकार्ड है एवं सैटलमेंट के बाद प्रार्थीगण 2/3 तथा अप्रार्थीगण 1/3 हिस्से पर दर्ज रिकार्ड है, जिसे वादीगण/प्रार्थीगण ने गलत इन्द्राज बताया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि संवत् 2007 से 2010 तक की जमाबंदी में संपूर्ण विवादित आराजी 21 बीघा 13 बिस्वा पर अप्रार्थी रामचन्द्र बतौर पुजारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लेसरदा के माल में स्थित आराजी खसरा नंबर 293 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र का अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मूर्ति मंदिर श्री केशवरायजी महाराज के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/10014/2004/बूंदी** **प्रतिमा श्री केशवरायपाटन जी महाराज बनाम जमनालाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी में करीब 2500 बीघा जमीन है, जो अनेकों गांवों में है एवं सेवा पुजा के लिए करीब 40–50 पुजारी है। प्रार्थना–पत्र तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन द्वारा बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 15–1–2003 द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया कि विवादित भूमि संवत् 2007 से 2010 तक मंदिर केशवराय जी महाराज स्थान केशवरायपाटन, श्री रामचन्द्र आत्मज भवानीशंकर ब्राह्मण श्री गोड पाटन के खाते अंकित है। विवादित भूमि का खातेदार मंदिर केशवराज जी महाराज स्थान केशवरायपाटन है एवं पुजारी रामचन्द्र था। लेकिन रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात् किये गये इन्द्राज के अनुसार रामचन्द्र के स्थान पर उनके वारिसान का नाम अंकित होना चाहिए था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों के त्रुटि के कारण प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज किया गया है। जबकि विवादित भूमि मंदिर के खाते की है तथा मंदिर का पुजारी भी रामचन्द्र के वारिसान है। देवस्थान विभाग द्वारा पुजारीगण के जीविका के लिए जो व्यवस्था कृषि भूमि के जरिये दी गई है, उनको देवस्थान विभाग द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई हक सिद्ध नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् रिसीवरी को खारिज किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 15–10–2003 द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत मानकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है, जिससे निगरानी के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित है, जिनमे निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है। 8– उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	